वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2003

आयकर

का.आ. 742(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राज्य सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अक्तूबर, 2001 को और उसके बाद जारी 31,633.85 करोड़ (इकतीस हजार, छ: सौ तैंतीस करोड़ और पचासी लाख रुपए केवल) रुपए की धनराशि के लिए पंद्रह वर्ष की अवधि हेतु 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज वाले प्रत्येक एक हजार रुपए के 31,63,38,500 अदद ''8.5 प्रतिशत कर मुक्त एसएलआर पावर बांडों'' को विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना संख्या 158/2003/फा.सं. 200/10/2003-आ.क.नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव